न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 50/2012 दायर दिनांक–06.03.2012

1. मंदिर मूर्ति श्री रिक्ताजी व श्री प्रहलादजी (महामाई) विरजमान वाके ग्राम खिरोड़ नाबालिग जरिये पुजारी श्री जगदीश प्रसाद दत्तक पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी खिरोड़ माफी मंदिर श्री रिक्ताजी व श्री प्रहलादजी (महामाई) वाके ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी :– राज पैरोकार

<u>दावा बाबत : इश्तकरार हक</u>

<u>व दुरूस्ती रिकॉर्ड</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक–07.05.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 580 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 596 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 597 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि का मंदिर माफी रिक्ताजी व प्रहलादजी को खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत 4 अस्वीकार है क्योंकि ग्राम खिरोड़ की मिस्ल बंदोबस्त सम्वत 2012 के खाता संख्या 168 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 685 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 686 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकिन बनी, खसरा नम्बर 726 रकबा 12 बीघा गैर मुमकिन मकबूजा हिस्सेदारान बिना लगानी दर्ज है। उक्त भूमि से बने नये खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 580 रकबा 0.22 है0 गैर मुमकिन बनी, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.25 है0 गैर मुमकिन बनी, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन बनी खसरा नम्बर 596 रकबा 0.10 है0 गैर मुमकिन बनी खसरा नम्बर 597 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन बनी एवं खसरा नम्बर 581 रकबा 0.18 है0 गैर मुमकिन आबादी, राजकीय खातेदारी में चारागाह एवं आबादी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का उक्त भूमि में कोई अधिकार नही है। वादी द्वारा राजकीय भूमि को हड़पने की गरज से न्यायालय हाजा मे दावा पेश किया है जो आधारहीन तथा मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. तनकी नं0 1:– आया विवादित आराजी माफी मंदिर श्री रिक्ता जी महामाई वाके ग्राम खिरोड़ के नाम होनी चाहिए।

भा.स.वादी

2. तनकी नं0 2:– आया विवादित आराजी को मंदिर माफी [illegible] व महामाया मंदिर प्रहलाद जी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

भा.स.वादी

3. तनकी नं0 3:– आया विवादित भूमि गैर मु0 [illegible] रिकॉर्ड हुई है

भा.स.वादी

4. तनकी नं0 4:– आया वादग्रस्त भूमि मंदिर की खातेदारी मे नही रही है

भा.स. प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:03 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

5. तनकी नं0 5:– आया विवादित आराजी गै0मु0 आबादी, राजकीय खातेदारी में चारागाह एवं आबादी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है।

6. आया वादी विवादित राजकीय भूमि (चारागाह, आबादी) पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। — भा. स. प्रतिवादी

7. दादरशी:– — भा.स.प्रतिवादी

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राज0 पैराकार उप0।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु जगदीश प्रसाद, सतीश कुमार तथा अमरचंद ने उप0 होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादी की ओर से शहादत नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग सम्वत् 2012–31 ग्राम खिरोड, प्रदर्श 2 नकल भू प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग सम्वत् 2012–31 ग्राम खिरोड, प्रदर्श 3 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 आदि दस्तावेज पेश किये।

शहादत पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र के तथ्यों को तथा वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

- तनकी नम्बर 1, 2 व 3 :– उक्त तनकियां एक दुसरे से सम्बन्धित है इसलिए उपरोक्त तनकियों की एक साथ विवेचना की जा रही है। तनकी नम्बर 1, 2 व 3 को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नम्बर 1, 2 व 3 में वादी ने राजस्व रिकॉर्ड दौराने सेटलमेंट विवादित भूमि मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की रिलीफ डिमाण्ड की है जिसके संबंध में वादी ने किसी प्रकार के दस्तावेजात् तथा शाक्ष्य पेश नही किये है ना ही वादी ने कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार के साक्ष्य पेश किये है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 580, 583, 595, 596, 597 कुल किता 05 कुल रकबा 0.6200 है0 चारागाह (गै.मु.बनी) के रूप में तथा भूमि खसरा नम्बर 582 रकबा 0.2400 है0 गै.मु.आबादी व गै.मु. मंदिर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित नही है। तंनकी नम्बर 1, 2 व 3 को साबित करने में वादी असफल रहे। उक्त तनकीयां वादी के विरूद्व तय की जाती है।
- तनकी नम्बर 4, 5, 6 :– उक्त तनकीया भी एक दुसरे से सम्बन्धित होने से उक्त तनकियों की एक साथ विवेचना की जा रही है। उक्त तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 580, 583, 595, 596, 597 कुल किता 05 कुल रकबा 0.6200 है0 चारागाह (गै.मु.बनी) के रूप में तथा भूमि खसरा नम्बर 582 रकबा 0.2400 है0 गै.मु.आबादी व गै.मु. मंदिर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त तनकिया साबित है। प्रतिवादी उक्त तनकियों को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है।

–:आदेश:–

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा [illegible] अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.05[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
[illegible] कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,([illegible]) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:03 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स. 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : इश्तरार हक व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 50/2012 **(मंदिर मूर्ति श्री रिक्ताजी बनाम तहसीलदार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.एं.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 07.05.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07.05.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर ए एस)
सहायक कलक्टर (फा. ट्रे.) नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:45:03 IST
Reason: SelfAttested